प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 97/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

यू. एकीकृत नंबरिंग

''फिक्स्ड एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना'' संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पिणयां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 20 सिंतबर, 2019 को ''फिक्स्ड एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 21 अक्टूबर, 2019 और 4 नवंबर, 2019 रखी गई थी।

2. ''फिक्स्ड एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना'' संबंधी परामर्श पत्र टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 13 नवंबर, 2019 और 27 नवंबर, 2019 करने का विनिश्चय किया गया है।

.

3. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– pradvnsl@trai.gov.in या rksingh@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91–11–23233291 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।